किया गया है [illegible]
की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस पर [illegible]
को दिनांक 05/9/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

05/9/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। उभय पक्ष वकील की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार है। यह हमारी पैतृक आराजी है। प्रार्थीया द्वारा 1/6 हिस्से की खातेदारी हेतु दावा पेश किया गया है। पैतृक संपति मे प्रत्येक वारिस का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। विवादित आराजी प्रार्थीया के दादा की संपत्ति है। अप्रार्थी संख्या-1 विवादित आराजी को बिना तकासमा कराये बेचान करना चाहता है। जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि विवादित आराजी मे प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा निहित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है। अत: प्रार्थीया के पक्ष मे पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं.-1 की जन्मजात अर्जित संपत्ति है। प्रार्थीया द्वारा मनगढ़त एवं गुमराह करके वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी अपनी सामाजिक जरूरतों को पुरा करने व कर्जा चुकाने हेतु अपनी भूमि बेचान करना चाहता है। अत: प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र मय हर्जाने के खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष वकील बहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05-09-2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 05/09/24 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	